पत्रांक–भवन/बजट–46–विविध–03/2025–26.....10697(74)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांकः– 17/11/26

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतिम समय में CFMS में तकनीकी त्रुटियों के कारण कोषागार से विपत्र पारित नहीं होने वाली राशि का विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुरक्षण एवं मरम्मति (विपत्र कोड–03–2059800530001) कार्य हेतु विभिन्न भवन प्रमंडलों के द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख से अनुमोदित प्राथमिकता के आलोक में कराये गये कार्यों के विरूद्ध भुगतान हेतु कोषागार में विपत्र समर्पित किया गया था, परन्तु CFMS के तकनीकी कारणों से कतिपय राशि का भुगतान नहीं हो सका है।

अतः अनरोध है कि CFMS के तकनीकी कारणों से कोषागार से पारित नहीं होनेवाली विपत्रों से संबंधित लंबित राशि की योजनावार विवरणी 24 घंटा के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।